Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2020/00207

Number of Case A/330/ Year 2024

किसनाराम व अन्य Versus हिराराम व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	पत्रावली वास्ते गत आदेशिकानुसार आयंदा दिनांक 18/2/26 को पेश हो। सही/- सहायक कलक्टर जोधपुर	
18/02/26	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी राज्य निर्वाचन नामावली संबंधित कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशिकानुसार आयंदा दिनांक 02/04/26 को पेश हो। सही/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
02/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत- धारा 212 R.T.A 1955 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु आयंदा दिनांक- 09/04/2026 को पेश हो। सही/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
9/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर मनन किया गया	

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2020/00207

Number of Case A/330/ Year 2024

किसनाराम व अन्य Versus हीराराम व अन्य

U/S- 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	तथा प्रस्तुत लिखित जवाबों का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र भली-भांति साबित न होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/330/2024 (GCMS No 2020/00207)

प्रार्थीगण :—

1. किसनाराम पुत्र अणदाराम,
2. भंवरलाल पुत्र अणदाराम,

जातियान कुम्हार, निवासीगण भटिण्डा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।

बनाम्

अप्रार्थीगण :—

1. हिराराम पुत्र श्री रताराम,
2. दौलाराम पुत्र श्री रताराम,
3. बस्ताराम पुत्र श्री रताराम,
4. श्रीराम पुत्र श्री रताराम,
5. घीसी बेवा श्री रताराम,

जातियान जाट, निवासीगण ग्राम भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर।

6. तहसीलदार तहसील जोधपुर।

— : : निर्णय : : — **दिनांक : 09.04.2026**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — 1955

उपस्थिति —

1. श्री जगदीश प्रजापत, जी एल प्रजापत एवं राजेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण प्रार्थीगण
2. श्री शंकरसिंह जाखड़ अधिवक्तागण अप्रार्थी संख्या 01 से 05

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि —
प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है। ग्राम भटिण्डा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिसलपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में खसरा नंबर 554 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 556 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आयी हुई है जिसके प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिसको इस वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिसके चारो ओर धोरा एवं माठ बनाई हुई है जिसके प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है न ही अप्रार्थीगणों के आने जाने के लिए कोई रास्ते के रूप में प्रयोग में आ रही है। अप्रार्थीगण भटिण्डा से राजोला कला जाने वाले रास्ते से होकर अपने खातेदारी के खेत खसरा नंबर 559 में आते जाते है जो इस रास्ते से नजदीक है इसलिये इसी रास्ते से आते जाते है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को परेशान एवं तंग करने के लिए प्रार्थीगण के खेत में से जबरदस्ती रास्ता निकालने के लिए उतारू है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर शान्ति पूर्वक कब्जा एवं काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहता है जबकि अप्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि में जाने के लिए भटिण्डा से राजोला कला जाने वाले रास्ते से होकर अपने खेत में आते जाते है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में जबरदस्ती रास्ता निकालने के लिए एवं प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में दखलअन्दाजी करनी शुरू की एवं एलानिया धमकीयां दी कि हम आपके वादग्रस्त भूमि में से रास्ता निकाल कर ही रहेगें। आपको जो कुछ करना है वो कर लेना इस प्रकार की एलानिया धमकी देने पर प्रार्थीगण को वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है जिसमें प्रार्थीगण का शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त है इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होने से प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष का है। अप्रार्थीगण अगर वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर जबरदस्ती रास्ता निकाल लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि गांव भटिण्डा के खसरा नंबर 554 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 556 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावे न ही किसी प्रकार का रास्ता निकाले मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश प्रदान करावे। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के हित में हो दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 005 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेकानेक अवसर प्रदान किये गये। अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 से 05 जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत करने में असफल रहे। अतः अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से पत्र क्रमांक : 396 दिनांक 24.06.2020 तथा मौका फर्द रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि –

''राजस्व रेकर्ड जमाबंदी चौसाला 2059–2062 के अनुसार खसरा नंबर 534 रकबा 5–00 बीघा एवं खसरा नंबर 556 रकबा 11–07 बीघा व खसरा नंबर 15 के अनुसार अणदाराम पिता भोमाराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज है जिसमें अणदाराम फौत होने पर नामा. सं. 1431 विरासत व नामा. सं. 1996 हकतर्क से पूरा खाता किसनाराम, भंवरलाल पिता अणदाराम के नाम दर्ज हुआ। खसरा नंबर 554 व 556 दोनों भाईयों के सामलाती भूमि है। खसरा नंबर 554 व 556 की मेड से खसरा 559 के काश्तकार कदमी रास्ते द्वारा जाते थे। जिसका रास्ता खसरा नंबर 556 व 556 के काश्तकारों ने धोरा लगाकर बंद कर दिया था। जिसको तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2020 / 1982 दिनांक 29. 05.2020 की अनुपालना में खुलवाया गया। अभी मौके पर रास्ता खुला है।''

अप्रार्थी संख्या 01 से 05 का जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः उभयपक्षकारान् की अंतिम बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, हस्तगत पत्रावली मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण संख्या 06 की मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सारभूत निम्नलिखित बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भटिण्डा, पटवार हल्का भटिण्डा, भू.अभि.नि.क्षेत्र पालासनी, तहसील कुड़ी भगतासनी जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 554 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 556 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि के संबंध में वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की हैं। दौराने बहस प्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया गया कि ''वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है न ही अप्रार्थीगण के आने जाने के लिए कोई रास्ते के रूप में प्रयोग में आ रही है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे से जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते है।'' अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया गया। अप्रार्थी संख्या 06 के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे यह वर्णित किया कि मौके पर खसरा संख्या 554 व 556 की मेड से खसरा 559 के काश्तकार कदमी रास्ते द्वारा जाते थे। जिसका रास्ता खसरा नंबर 556 व 556 के काश्तकारों ने धोरा लगाकर बंद कर दिया था। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण सुखाचार (कदमी रास्ते) से संबंधित हैं। साथ ही, प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हो। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति</u> :– सुविधा की दृष्टि से दोनों बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुआ हैं। साथ ही, प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित न होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् रहेगा।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सोवर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सोवर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर